न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

(श्री ब्रजेश कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 196/2021

निर्णय दिनांकः– 09.01.2023

उनवान

रामप्रसाद पुत्र गोविन्दा जाति गुर्जर निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक –प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज0)

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री स्वयं प्रार्थी

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः– यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 110 ख0न0 80 रकबा 6.03 है0 ,खाता संख्या 22 ख0न0 86 रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक मे स्थित है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रामप्रसाद बनाम गोविन्दा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि मे अंकित है। किन्तु जमाबन्दी में सहवन से प्रकाश बनाम गोविन्दा दर्ज कर दिया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रार्थी की यह अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 110 ख0न0 80 रकबा 6.03 है0 ,खाता संख्या 22 ख0न0 86 रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक मे प्रार्थी का नाम प्रकाश बनाम गोविन्दा के स्थान पर रामप्रसाद बनाम गोविन्दा अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 110 ख0न0 80 रकबा 6.03 है0 ,खाता संख्या 22 ख0न0 86 रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक में प्रकाश बनाम गोविन्दा के नाम से संयुक्त

s.136.330

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला टोंक

Scanned with CamScanner

खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। गोतबिरानों अनुसार प्रार्थी का नाम प्रकाश एंव रामप्रकाश एक ही व्यक्ति है। इस नाम के अलग-अलग व्यक्ति ग्राम में नही है। तहसीलदार नगरफोर्ट की अभिशंषा अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रकाश बनाम गोविन्दा के स्थान पर रामप्रसाद बनाम गोविन्दशुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 110 ख0न0 80 रकबा 6.03 है0 ,खाता संख्या 22 ख0न0 86 रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक में राजाराम पुत्र छीतर के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। गोतबिरानों अनुसार प्रार्थी का नाम प्रकाश एंव रामप्रकाश एक ही व्यक्ति है। इस नाम के अलग-अलग व्यक्ति ग्राम में नही है। तहसीलदार नगरफोर्ट की अभिशंषा अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रकाश बनाम गोविन्दा के स्थान पर रामप्रसाद बनाम गोविन्द शुद्ध किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र(धारा 136) को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगरफोर्ट को आदेशित किया जाता है कि वह आराजी खाता संख्या 110 ख0न0 80 रकबा 6.03 है0 ,खाता संख्या 22 ख0न0 86 रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक में दर्ज नाम प्रकाश बनाम गोविन्दा के स्थान पर रामप्रसाद बनाम गोविन्द दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

ब्रजेश कुमार
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

s.136.331